प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, खगड़िया

भरण–पोषण वाद सं0 –80/2025

जासमिन खातुन बनाम् मो0 फिरोज उर्फ सहमत

12.05.2026 प्रकरण का अभिलेख सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्तागणों सहित उपस्थित।

उपभयपक्षों ने न्यायालय के समक्ष यह अभिव्यक्त किया कि पूर्व सुनवाई दिनांक को न्यायालय से दोनों पक्ष समझौता पश्चात् साथ–साथ रहने चले गये और साथ–साथ ही रह रहें है। दोनों पक्ष सामंजस्य के साथ शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे है और आगे भी साथ–साथ रहकर वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। अब उनके मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा।

उपरोक्त अभिव्यक्ति के पश्चात् उभयपक्षों के कथन शपथ पर न्यायालय में अभिलिखित कराये गये। अनावेदक मो0 फिरोज ने अपने कथन में यह कहा है कि वह स्वेच्छया अपनी पत्नी को जेब खर्च के लिए प्रतिमाह तीन हजार रूपया प्राप्त करायेगा और साथ–साथ रहने के दौरान वह अपनी पत्नी का भरण–पोष अच्छे से कर रहा है। अनावेदक ने यह भी कथन किया है कि वर्तमान प्रकरण समझौते के आधार पर समाप्त कर दिया जाये। आवेदिका ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि अनावेदक से उसे कोई शिकायत नहीं है और अनावेदक उसे प्रतिमाह तीन हजार रूपये जेब खर्च के रूप में देगा। आवेदिका ने यह भी कथन किया है कि वर्तमान प्रकरण में वह आगे कार्यवाही नहीं चाहती है और वर्तमान प्रकरण की कार्यवाही उभयपक्षों की सहमति के आधार पर समाप्त कर दी जाये।

उभयपक्षों के दिनांक, 16.03.2026, से साथ–साथ रहने और आज दिनांक को शपथ पर किये गये उनके कथनों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान प्रकरण में आगे की कार्यवाही उभयपक्षों की सहमति के आधार पर समाप्त की जाती है तथा अनावेदक को यह आदेशित किया जाता है कि वह उसके द्वारा न्यायालयीन कथन में की गई स्वीकारोक्ति के अनुसार आवेदिका को तीन हजार रूपये प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में प्राप्त कराता रहे तथा उभयपक्ष साथ–साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। तद्नुरूप आवेदिका जासमिन खातुन द्वारा प्रस्तु भरण–पोषण याचिका दिनांक, 21.08.2025, अंतर्गत धारा–144 भा0ना0सु0सं0 निराकृत की जाती है।

कार्यालय लिपिक प्रकरण का परिणाम पंजी में अंकित कर अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

Manoj Kumar Devendra
12/05/2026

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
खगड़िया।